सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 72/12 **निर्णय दिनांक –03.05.2018**

1. हड़मान उर्फ हनुमान पुत्र स्व. श्री रामकरण जाति बिश्नोई निवासी गांव जांगलूँ हाल निवासी वार्ड नं. 13 नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. श्रवणकुमार
2. सोनुकुमारी
3. राजेन्द्र कुमार
4. प्रेमप्रकाश
5. सीमाकुमारी
6. अशोक कुमार

पुत्र/पुत्रियॉ श्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी गांव जांगलूँ जरिये कुदरतीवली पिता व मामा रामचन्द्र निवासी जांगलूँ तहसील नोखा जिला बीकानेर।

7. रामचन्द्र पुत्र श्री रामकरण जाति बिश्नोई निवासी गांव जांगलूँ तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 18–01–2012
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री गोविन्द डूडी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 18–01–2012 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 1403 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 1510 में 5.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 1723/1402 में 1.38 हेक्टर कुल किता तीन रकबा 6.60 हेक्टर वाके ग्राम जांगलूॅ तहसील नोखा में वादीगण के दादा रामकरण की भूमि रही है। जिनका देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जो वादीगण के पिता चाचा है। वादगत् भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि रही होने से वादीगण कर इस भूमि पर जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। वादगत् भूमि पर वादीगण के पिता का 1/2 हिस्सा निहित होने से परिवार के सदस्यों ने अपनी रजामंदी से विभाजित कर रखा है। पारिवारिक मनमुटाव के चलते प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्से की भूमि अपने नाम रिलिज करवा ली गई जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि का हक व परित्याग करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए अधिकरों से अधिक किये गये हकत्याग विलेख प्रारम्भ से ही एब ईनिशियों वाईड दस्तावेज है।

चूंकि वादगत् भूमि पैतृक भूमि है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुश्तैनी भूमि में पौत्र व पुत्र का जन्म से ही अधिकार, हक व हिस्सा होता है तथा पुश्तैनी भूमि का बिना सहमति के विक्रय या हक परित्याग नहीं किया जा सकता। उक्त आश्य का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा यह आदेश पारित कर दिये गये कि संबंधित मूल दावे के अन्तिम निर्णय होने तक वादगत् भूमि को किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें तथा पक्षकारान् एक दूसरें के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रामचन्द्र ने दिनांक 18—08—2009 को उक्त कृषि भूमि में स्थित अपने हिस्से को अपने भाई हनुमान के हक में रिलिज डीड के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों की सहमति व रजामन्दी से हकत्याग कर दिये गये। ऐसी स्थिति में अब रामचन्द्र का वादगत् भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। प्रकरण में अपीलांट की मौका पर भाई बंटवारें के अनुसार ढाणी बनी हुई है तथा उसने जमीन को कड़ी मेहनत से सुधार कर काबिल काश्त बनाया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा रिलीज डीड कर अपने सम्पूर्ण हक व हिस्सा का त्याग कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। अपीलांट द्वारा अपनी आय से रामचन्द्र की पत्नी सुशीलादेवी के नाम राजीखुशी से गावं जांगलूॅ में 3.80 हैक्टर भूमि खरीद कर दी थी जिसमें रामचन्द्र स्वयं गवाह के रूप में हाजिर है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि रामचन्द्र की नियत में खोट आने की गरज से अपनी पत्नी व बच्चों को आगे कर यह मुकदमा प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलांट व

रेस्पोडेन्ट का विधिवत हिस्सा कायम है। अदालत मातहत द्वारा चूंकि वादगत् भूमि एक सुंयक्त खाते की भूमि है तथा जिसका विभाजन नहीं हुआ है। अतः वादगत् भूमि के दौराने वाद विक्रय किये जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट के पक्ष में मानते हुए वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि रोही मौजा ग्राम जांगलूॅ तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 1403 में 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 1510 में 5.07 हेक्टर व खसरा नम्बर 1723/1402 में 1.38 हेक्टर कुल किता तीन तादादी 6.60 हेक्टर भूमि के वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि रामचन्द्र ने दिनांक 18—08—2009 को उक्त कृषि भूमि में स्थित अपने हिस्से को अपने भाई हनुमान के हक में रिलिज डीड के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों की सहमति व रजामन्दी से हकत्याग कर दिये गये। ऐसी स्थिति में अब रामचन्द्र का वादगत् भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार होने से रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। अपीलांट के कथनानुसार वादगत् भूमि के बाबत् रिलिजडीड के माध्यम से हक व हकूकों का त्याग किया गया है अथवा नहीं? यह बिन्दु अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में अभिनिर्धारित होना है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खाते की सम्पति है जिस पर हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है।

(4) रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड व वादगत् भूमि को दावे के निर्णय तक रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि वे वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादगत् भूमि पर जन्म से ही हिस्सा निहित होने से वादगत् भूमि पर अपना 1/2 हिस्सा होना बताया गया है।

(5) चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड व रहन, बैय नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार को अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोखा का आदेश दिनांक 18—01—2012 बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर